उद्यान विभाग
चौ.चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
(Established by Parliament Act-16 of 1970)

अनुसंधान उद्यान के फल की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के अनुसंधान क्षेत्र में नीलामी सूचना इस प्रकार है :

1. फलदार वृक्षों के फल की वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (28.08.2026 से 27.08.2028) को नीलामी दिनांक **27.08.2026 प्रातः 10.00 बजे** खुली बोली द्वारा की जाएगी। फलों की बोली देने वाले व्यक्ति या पार्टी को **2,00,000/– रूपये धरोहर राशि** के रूप में जमा कराने होंगें। बोली स्वीकृत होने पर एक चौथाई (25 प्रतिशत) राशि बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद जमा करानी होगी, वरना बोली रद्द कर दी जाएगी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। शेष राशि बाद में नियम व शर्तो के अनुसार जमा करानी होगी। फलदार वृक्षों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	फलों के नाम	पौधों की संख्या
1.	अमरूद	2020
2.	आँवला	277
3.	बेर	920
4.	किन्नों, माल्टा, ग्रेपफ्रुट इत्यादि	1110
5.	शहतूत, आलुबुखारा, नाशपाती	210
6.	आम	180
7.	बेलगिरी	74
8.	अनार	290
9.	खजूर	475
10.	पीएफडीसी केन्द्र पर अमरूद, किन्नों, आडू	48
11	अगूंर	780
12.	अन्य फलदार पौधे	77

2. इच्छुक व्यक्ति या पार्टी किसी भी कार्य दिवस में 9.30 से 4.00 बजे तक मौके पर आकर बाग का निरीक्षण कर सकते हैं। कमेटी को बोली को मानने, नैगोशिएशन या रद्द करने का पूरा अधिकार होगा। नीलामी की बाकी शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.hau.ac.in** पर देख सकते है।

17/8/26

विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
दूरभाषः 01662–255212

उद्यान विभाग
चौ.चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

No.Hort.26/5591-650 Dated: 10/8/26

नीलामी सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित विभागों को सूचनार्थ प्रषित है :–

1. सभी अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र।
2. फार्म निदेशक, चौ.चरण सिंह ह.कृ.वि., हिसार ।
3. अनुसंधान निदेशक, चौ.चरण सिंह ह.कृ.वि., हिसार ।
5. सभी विभागाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, चौ.चरण सिंह ह.कृ.वि., हिसार ।
6. नोटिस बोर्ड।
7 निदेशक, बागवानी मिशन, पंचकूला।
8 निदेशक, उद्यान विभाग, पंचकूला।
9 जिला उद्यान अधिकारी, हिसार ।
10 निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, हिसार ।
11 निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, हिसार ।
12 निदेशक,राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सिरसा रोड., हिसार ।
13. सभी ठेकेदार (बाग एवं नर्सरी)।
14 Computer Section, COBS&H, CCS HAU, Hisar for placing the notice on website.

RKGoyal 10/8/26

विभागाध्यक्ष,
उद्यान विभाग

1

बागवानी विभाग
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

बाग की नीलामी के लिए नियम व शर्तें

1. ठेकेदार को बोली में भाग लेने के लिए 2,00,000/–रू (दो लाख रुपए) धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा। जिस ठेकेदार के नाम बोली छुटेगी, उस ठेकेदार को यह राशि ठेका पूरा होने के बाद (अगस्त, 2028) वापिस की जाएगी। इस राशि पर विश्वविद्यालय कोई ब्याज नहीं देगा। पहले बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पैसा जमा कराने तक दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले बोलीदाता की धरोहर राशि वापिस नहीं की जाएगी।

2. सफल बोलीदाता को बोली का 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पैसा बोली खत्म होने के 24 घंटे के अन्दर जमा कराना होगा। अगर वह 25 प्रतिशत पैसा 24 घंटे के अन्दर जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं ठेका दूसरे बोलीदाता को दे दिया जाएगा। बाकि की राशि ठेकेदार को छः किस्तों में जमा करानी होगी। पहली किस्त 15 सितम्बर 2026 तक, दूसरी किस्त 15 दिसम्बर, 2026 तक, तीसरी किस्त 15 मार्च, 2027 तक, चौथी किस्त 15 सितम्बर, 2027 तक, पांचवीं किस्त 15 दिसम्बर, 2027 तक और छठी किस्त 15 मार्च, 2028 तक जमा करवानी होगी।

3. अगर किस्त समय पर नहीं दी तो उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा और यह राशि किसी दूसरी किस्त में या वापिस नहीं की जाएगी। समय पर किस्त नहीं देने पर विभागाध्यक्ष फलों की तुड़ाई बंद कर देगा और जब तक किस्त जमा नहीं होती, फल नहीं तोड़ने दिए जाएंगे।

4. अनुसंधान एवं अन्य कार्यों के लिए 25 क्विंटल फल प्रतिवर्ष विभाग के लिए आरक्षित रखना होगा। ठेकेदार एवं विभाग के बीच फल 25 क्विंटल से कम या ज्यादा (आरक्षित का अधिकतम 5 प्रतिशत) लेने पर 15 रुपए प्रति किलो की कीमत लगेगी।

5. वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्य के लिए वृक्षों का चुनाव बाग के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं।

6. ठेकेदार को फलों की तुड़ाई ठीक समय पर करनी होगी तथा उद्यान प्रभारी की अनुमति से करनी होगी।

7. बाग में किसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

8. ठेकेदार बाग को किसी दूसरे व्यक्ति को आगे ठेके पर नहीं दे सकता।

9. ठेकेदार के पास काम करने वाले सभी सदस्यों को उनका पहचान पत्र देना होगा एवं पासपोर्ट साईज फोटो विभाग में जमा करवाने होंगे।

10. बाग की बोली इस शर्त पर लगाई जाएगी कि बाग की 2 साल (2026–27, 2027–2028) (01.8.2026 से 31.7.2028) के लिए सुरक्षा और बाग की देखभाल के लिए होने वाले सभी कार्यों जैसे निराई–गुड़ाई, नालों की सफाई, पानी लगाना, इत्यादि पर होने वाली मजदूरी का खर्चा ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा। अगर ठेकेदार इन कार्यों को समय पर करवाने के लिए मजदूर नहीं लगाता तो ये सब कार्य विभाग द्वारा ठेकेदार के जोखिम और खर्चे पर करवाये जाएगें।

11. ठेकेदार अगर बाग की देखभाल ठीक तरह से नहीं करता है तो विश्वविद्यालय उसका ठेका रदद कर सकता है।

12. विभाग ठेकेदार को खाद, कीड़े व बीमारी की दवाइयां विश्वविद्यालय की सिफारिशों के आधार पर मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा। लेकिन खाद व दवाइयों का छिड़काव ठेकेदार को खुद करवाना होगा। इसके लिए विभाग कोई पैसा नहीं देगा। बाग के कचरे से ठेकेदार सभी तरह की खाद तैयार कर सकता है। लेकिन ट्रैक्टर व मशीन जो विभाग के पास उपलब्ध होगी व बाग में होने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी।

13. सूखे/सड़े हुए/रोगग्रस्त/फल न देने वाले फलदार पौधों को विश्वविद्यालय द्वारा उखाड़कर निपटाया जाएगा और इस संबंध में ठेकेदार को विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए फलों के बागों के बेहतर प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14. बाग में सिंचाई नहर में पानी पर निर्भर करेगी।

15. ठेकेदार को बाग में 2026–27 व 2027–28 के दौरान फलों की तुड़ाई के बाद भी पौधों की देखभाल करनी होगी, जिससे भविष्य में अच्छी फसल ली जा सके।

16. फलवृक्ष को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

17. (क) मजदूरों को सरकार द्वारा वेजिज एक्ट 1948 के तहत मजदूरों के लिए निर्धारित वेतन देना होगा और सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।

(ख) ठेकेदार को मजदूरी की लिखित पर्ची उपलब्ध करवानी होगी।

18. ठेकेदार को निम्नलिखित कानूनों का पूरी तरह से पालन करना होगा:

(क) मजदूरों को महीने की 7 तारीख तक वेतन देना होगा।

(ख) ई एस आई और भविष्य निधि कानून पूरी तरह लागू करना होगा।

19. ठेकेदार को प्रमाणित करना होगा कि उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य बोली में शामिल नहीं है।

20. सफल ठेकेदार को नीलामी के 10 (दस) दिनों के अन्दर 100/– रुपए के स्टॉम्प पेपर पर नीलामी शर्तों का अनुबंध दो गवाहों के हस्ताक्षर सहित देना होगा।

21. ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी कि मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मिले और इसके लिए विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी।

22. ठेकेदार द्वारा लगाए गए व्यक्ति को चोट लगने, मृत्यु होने या अपंग होने पर दी जाने वाली सहायता राशि के लिए ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। विश्वविद्यालय पर इस तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

23. बाग में काम करने के लिए खेती के औजार जैसे कस्सी, कसौले, आदि विभाग उपलब्ध नहीं करवाएगा। ठेकेदार को बाग इंचार्ज/विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

24. पौधशाला के लिए जरूरी कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग व बीज आदि बाग से लिया जाएगा।

25. ठेके की शर्तों को न मानने पर ठेका रद्द किया जा सकता है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। बाग का बाकी बचा कार्य ठेकेदार के खर्चे पर पूरा किया जाएगा।

26. विभाग को बाग के निरीक्षण का अधिकार है। मजदूरों को लाने व वापिस भेजने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए विभाग कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाएगा।

27. ठेकेदार बोली लगाने से पहले बाग को देख सकते है और विभागाध्यक्ष व बाग इंचार्ज से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

28. अनैतिक एवं असामाजिक कार्य उद्यान परिसर में निषेध है। दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किसी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकता है। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा अनुसंधान निदेशक करेंगे व उनका फैसला सभी को मान्य होगा तथा अंतिम होगा।

29. किसी तरह के कानूनी झगड़े का निपटारा हिसार न्यायालय में होगा।

30. कोई अन्य शर्त जो विश्वविद्यालय ठीक समझे, लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

Committee Members:

(Dr. S.K. Dhankhar)
Rep., DR

(Dr. Rakesh Gehlot)
Prof. & Head, Hort.

(Dr. Sanjay Kumar)
Rep., Prof. & Head
Agril. Economics

(Sh. S.S. Sharma)
Deputy Comptroller

(Dr. O.P. Bishnoi)
Director of Farms